फर्द अहकाम

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

रावताराम वगैरा बनाम दमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 210 सन् 2017

तारीख हुकम	हुक्म कार्यवाही मय इनिषिल्यस जज	नं.व ता.अहक
10.07.2017	प्रार्थी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया।पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गभीरता पुर्वक अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कब्जा कास्त शुदा भूमि मौजा मदों की ढाणी पटवार हल्का रतेउ के खेत खसरा नं. 669,739,994/669 रकबा क्रमश 73.00,84.06,63.00 बीघा की आई हुई हैं। प्रार्थी की कब्जा कास्त भूमि में विप्रार्थीगण निर्माण करने एवं अन्य अजनवीव्यक्ति को बेचान करने पर आमदा है यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गभीरता पुर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णिय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 22.08.2017 तक जरीये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा मौजा मदों की ढाणी पटवार हल्का रतेउ के खेत खसरा नं.669,739,994/669 रकबा क्रमश 73.00,84.06,63.00 बीघा की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही बेचान करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जबाव दिनांक 22.08.2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (SDO) सहायक कलेक्टर बायतु जिला - बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

22/08/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील प्रमाण। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 29/08/17 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

29/08/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। चूंकि प्रार्थी का मूल वाद Not press में खारीज हो चुका है इसलिये आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अत: प्रार्थी का आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से बाद में दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner